न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 59 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. घमण्डा पुत्र काना का मु
   1/1चेतनराम पुत्र घमण्डा
   1/2भंवरलाल पुत्र घमण्डा
   1/3श्रीमती छगनी पुत्री घमण्डा
   1/4श्रीमती राऊ पुत्री घमण्डा
   1/5श्रीमती लीला पुत्री घमण्डा
   1/6श्रीमती मथरादेवी पुत्री घमण्डा
   1/7श्रीमती कमला पुत्री घमण्डा
   1/8 श्रीमती बोदी पुत्री घमण्डा
   1/9 श्रीमती ओगी पुत्री घमण्डा
2. जेताराम पुत्र कानाराम जाति जटिया निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.बुधाराम पुत्र सोनाराम फौत
2.नाथूराम पुत्र बुधाराम
3.राणाराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी महाबार तहसील बाड़मेर
4.नारायणसिंह पुत्र शक्तिदानसिंह
5.वीरसिंह पुत्र शक्तिदानसिंह जाति पुरोहित निवासी महाबार।
6.पांचाराम पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी महादेव पेट्रोल पम्प एन.एच.15 बाड़मेर (राज.)
7.हरिशकुमार पुत्र लीलाराम जाति मेघवाल निवासी माल गोदाम रोड़, बाड़मेर राज.।
8.बरकत अली पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान निवासी एन.एच 15 मदरसे के पास बाड़मेर।
9.मोहनराम पुत्र कानाराम जाति जटिया निवासी जटियों का पुराना बास, बाड़मेर
10.आलोक सिंहल पुत्र अमरचन्द सिंहल जाति अग्रवाल निवासी बेरियों का बास बाड़मेर
11.बृजेशकुमार पुत्र चन्द्रभान राय जाति ब्राहमण निवासी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 306/2011 बअनवान घमण्डाराम बनाम बुधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 09.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा महाबार तहसील व जिला बाड़मेर में अपीलांटगण की पुस्तैनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 39 रकबा 20.10 बीघा तथा खसरा संख्या 38 रकबा 33.05 बीघा कुल रकबा 53.15 बीघा की आई हुई है जिसका पर्चा लगान अपीलांट के पूर्वज कानाराम के नाम से जारी हुआ था। अपीलांटगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम पुत्र जेरामराम जाति जटिया के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में एक वाद पेश किया। जिसमें उतरदातागण संख्या 01 से 03 के वकील श्री गंगाराम जैन थे श्री गंगाराम जैन अधिवक्ता ने ही अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम की पहचान देते हुए इकबाली जबावदावा प्रस्तुत करवाया और इस प्रकार उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने साजिश कर अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम को अनुपस्थित बताकर दिनांक 10.11.1971 को एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। उक्त डिक्री के आधार पर उतरदातागण संख्या 01 से 03 को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है और न ही उतरदातागण संख्या 01 से 03 प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही उक्त खसरों की भूमि उतरदातागण का कभी कब्जा ही रहा और न ही उतरदातागण संख्या 01 से 03 उक्त खसरों मे खातेदार बनते है। उक्त डिक्री धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपीलांटगण के पिता के कानाराम के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलांटगण के पूर्वजों के उक्त खसरों की भूमि को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर मौके पर प्लोटिंग कर निर्माण कार्य कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति बताकर उनकी गैर हाजिरी में, उनके वकील की बहस सुने बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम पुत्र जेरामराम जाति जटिया के विरूद्ध सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में एक वाद पेश किया। जिसमें उतरदातागण संख्या 01 से 03 के वकील श्री गंगाराम जैन थे श्री गंगाराम जैन अधिवक्ता ने ही अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम की पहचान देते हुए इकबाली जबावदावा प्रस्तुत करवाया और इस प्रकार उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने साजिश कर अपीलांटगण के स्वर्गीय पिता कानाराम को अनुपस्थित बताकर दिनांक 10.11.1971 को एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। उक्त डिक्री के आधार पर उतरदातागण संख्या 01 से 03 को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है और न ही उतरदातागण

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 01 से 03 प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही उक्त खसरों की भूमि उतरदातागण का कभी कब्जा ही रहा और न ही उतरदातागण संख्या 01 से 03 उक्त खसरों मे खातेदार बनते है। उक्त डिक्री धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपीलांटगण के पिता के कानाराम के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलांटगण के पूर्वजों के उक्त खसरों की भूमि को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर मौके पर प्लोटिंग कर निर्माण कार्य कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति बताकर उनकी गैर हाजिरी में, उनके वकील की बहस सुने बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य एकपक्षीय आदेश विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 306/2011 बअनवान घमण्डाराम बनाम बुधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner